



२२/१/२६

पत्रावली आदेशानुसार पेय डी उन्मुख निधाय म क उन्मुख
है कि एक उन्मुख - पत्र आदेशानुसार  द्वारा २१२
RTA के तहत फोन नंबर विवादा आसनी  ८५५५,
८५५६ गाँव काठा कसौली पत्तन हल्ला कसौली - १०
२११)


ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

पर ल्याजान सादेश जारी करने हेतु निवेदन
लिखा गया। जिस पर आग्रह्य द्वारा पूर्व में
ही दिनांक 13/11/25 को आग्रह्य निषेधाज्ञा
जारी की गई। परकारों को नोपिद जारी कर
तमब लिखा गया। उपपदा की कक्षा हुनी
गयी उपरोक्त कक्षा पर प्रजन कजे, पञावनी
पर उपलब्ध सप्तत इतरवजो के अक्लोकन
ले आग्रह्य निषेधाज्ञा को इक्करी लिखा जाना
उचित नमसते हे। अतः सादेश दिने जाते हे कि
पूर्व में जारी शिखिद सादेश दिनेक 13/11/25
के बल वाद के निरतायत लक क्कुरा लिखा
जाता हे। पञावनी क्कुरा शुकुप होवप नेकी
ले क्कुरा होवप शाखिल क्कुरा ही पञावनी
बुल इवे के लाल सेलान रहे। सादेश

उपखण्ड 2007


उपखण्ड अधिकारी
कपौली (राजगंज)